

C.P. 4
21/7/13

In The High Court of Judicature at Patna

Civil writ Jurisdiction)

C.W.J.No. of 2013

Md. Taha & ors. ----- Petitioners

Vs.

The State of Bihar & ors ----- Respondents

Sub:- *Arrear of Salary
(School Service)*

INDEX

Sl. No.	particulars	page
1.	An application with affidavit	1 to 14
2.	Annexure-1 A photo copy of Alim and & 1/A Matriculation certificate	
3.	Annexure-2 A photo copy copy of appointment letter	
4.	Annexure-3 A photo copy of letter no. 493 dt. 25.2.81	
5.	Annexure-4 A photo copy of letter no. 494	

In The High Court of Judicature at Patna

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No.

of 2013

In the matter of an application

under Article 226 of the

Constitution of India

and

In the matter of

1. **Ms. Taha s/o Late Maulvi Abdul Wasid**, resident of
village **Maheswa, p.s. and District- Madhepura** at
present **wasid** retired **Assistant Teacher** in
Middle School, Biraily Bazar, Madhepura

2. **Jagdish Prasad Mehta s/o late Saryug Prasad Mehta**
resident of village **Biraily Bazar, p.s. and District-**
Madhepura at present **retired Assistant teacher** in

Primary School Rishideo Tola Pakilpar, Murliganj

District- Madhepura----- Petitioners

Vs.

1. The State of Bihar through Principal Secretary Department Human Resources Government of Bihar, Patna
2. The Principal Secretary cum Director Primary Education Government of Bihar, Patna
3. The Director, Primary Education Government of Bihar,
4. The District Education Officer, Madhepura
5. The Treasury Officer, Madhepura
6. The Area Education Officer, Madhepura
7. The Headmaster, Middle School, Biraily Bazar, Madhepura
8. The Headmaster cum drawing and dispensing officer, Bhirchi Bazar, Madhepura----- Respondents

To,

The Hon'ble Justice Ms. Rekha M. D. Joshi the Chief
 Justice of the High Court of Judicature at Patna and her
 companion justices of the said Hon'ble court.

The humble petition on behalf

of above named petitioners

Most Respectfully Sheweth:-

1. That the petitioners prays for the
 following reliefs:-

i. To grant arrear of salary from the date
 of over i.e. 25.2.1981 to 7.12.1992.

ii. To issue writ in the nature of mandamus
 / certiorary / commanding the respondent concerned
 to act per with the enquiry report because
 admittedly petitioner was appointed on 15.11.70 &
 21.7.69 respectively .so it was incumbent upon the

the respondent authority to accord the approval of the service of the petitioner w.e.f. 1.1.1971 along with all consequential benefits.

iii. To issue a writ in the nature of mandamus commanding the respondent no. 1 to 5 to accord the approval of the service of the petitioner w.e.f. 1.1.1971 in contemplation of Bihar non Government ~~Education~~ elementary School Bihar (taking over of under) Act 1976 as the petitioner is no way responsible for the omission and commission as well as mischief of respondent authority.

2. That the following question of law are involved in this writ case:-

i. whether the action of the respondents concern not grant arrear of salary w.e.f. 1981 to

7.12.97 one prejudice, malafide, improper, bias and colourable exercise of power -2

II. Whether the action of the respondent concerned not grant arrear of salary w.e.f. 1981 to 7.12.1992 despite a arrear of respondent no.3, District Superintendent of Education, Madhepura now District education officer Madhepura dt. 31.1.2008.

III. Whether the action of the respondent concerned not grant amount of salary w.e.f. 1981 to 7.12.1992 despite the order of this hon'ble court vide C.W.J.C.No. 4126/09 ^Upendra Yadav vs. The ^State of Bihar & ors. dt. 18.7.11 are violation of order of this Hon'ble Court.

IV. whether the action of the respondent concerned not grant arrear of salary w.e.f. 1981 to 7.12.12 despite without any break in service since

1970 to till today.

V. Whether the action of the respondent concerned are violation of Article 14, 16, 20 and 309 of the Constitution of India ?

3. That the petitioner are citizen of India and reside in the judicial jurisdiction of this Hon'ble Court.

4. That the petitioner no. 1 has passed Alim examination equivalent to matric in the year 1970 and the petitioner no. 2 has passed the Matriculation examination in the year 1969 .

A photo copy of the certificate of Alim and matriculation is annexed herewith and marked as annexure 1 & A to this petition.

5. That the petitioner no. 1 was appointed by managing committees on 15.9.70 and petitioner no. 2

on 1.7.09 .

A photo copy of appointment letter is annexed herewith and marked as annexure- 2 to this application.

6. That the special Secretary-cum- Director Primary Education sent a letter vide memo no. 493, dated 25.2.81 to the concerned District Superintendent of Education Saharsa regarding taking over of the said school and verify the date of passing of Matriculation & Alim.

A photo copy of letter no. 493, dt. 25.2.81 is annexed herewith and marked as annexure- 3 to this application.

7. That it is relevant to mention here that school was taken over on ~~the~~ the same date

date by another letter vide memo no. 494, dt. 25.2.81/ and name of the petitioners were left out.

A true photo copy of letter no. 494 dated 25.2.81 is annexed here with and marked as annexure 4 to this application.

8. That it is respectfully stated and submitted that the District ^Superintendent of Education, Madhepura written a letter to the Dy. Director Primary Education, Bihar, Patna vide his letter no. 516, dated 18.4.88. This letter has been written with reference to letter no. 594, dt. 12.4.88 that five teacher are working in the school from the dt. of their appointment by managing Committee and petitioners name are mentioned at sl.no. 4 and 5 and earlier report the teacher at serial no. 4 (petitioner

(petitioner no. 2 and at serial no. 5 (petitioner no. 1 could not deposited their educational certificate in proper time so their service could not be approved .

A photo copy of letter no. 526 dt. 18.4.88 is annexed here with and marked as annexure- 5 to this application.

9. That it is saddy to say that Director cum- additional Secretary , ^Primary Education, Govt. of Bihar, Patna given a direction to the concerned District Superintendent of Education, Madhepura regarding payment of salary and earlier letter dt. 2.12.88 was quashed vide a letter bearing memo no 3345 dt. 31.12.88.

A photo copy of memo no. 3345 dt. 31.12.88 is annexed herewith and marked as annexure. 6 to this application.

10. That after concerned District Superinten-

tendent of Education, Madhepura has passed the order regarding payment of salary w.e.f. 8.12.1992 pursuant of order passed by the Secretary, Human Resources Department Government of Bihar, Patna vide a memo no. 13381-6 dt. 9.7.1993 in place of 1981.

A few H.P. / photo copy of the order dated 9/7/93 is being annexed herewith and marked as Annexure - 7 to this Petition.

11. That the petitioners approached before this Hon'ble court in writ petition vide C.W.J.C.no. 14680/01 which was disposal of on 27.4.2007 by Hon'ble liberty to representation before Secretary Primary education Government of Bihar, Patna .

12. That the petitioner filed representation on 4.6.07 before the government of Bihar, Patna.

A photo copy of the representation dt. 4.6.07 is annexed herewith and marked as annexure-8 to this application.

13. That it is relevant to mention here that on the basis of order passed by the Hon'ble court District Superintendent of Education, Madhepura (now District Education officer) officer has passed the order to grant salary w.e.f. 25.2.98 on 31.1.2008.

A photo copy of the order dt. 31.1.2008 is annexed herewith and marked as annexure 9 to this petition.

14. That similar ~~nature~~ nature of case was allowed on 18.7.11 vide C.W .J.C. o. no. 4126/09

(Upendra Yadav Vs. The State of Bihar & ors.) by the Hon'ble judge.

A photo copy of the order dt. 18.7.11 is annexed herewith and marked as annexure-1D to this application .

15. That on the basis of order passed by D.S.E. madhepura bill was prepared and sent to treasury but bill was not passed by treasury .

A photo copy of bill dt. 8.3.09 is annexured herewith and marked as annexure- 1^A to this petition.

16. That petitioner on the facts and circumstances education and alternative remedy except to ~~also~~ move before this Hon'ble court.

It, is therefore prayed that your lordships may graciously be pleased to admit this application issue ^Rule NISI calling upon the respondents and after hearing the parties further be pleased to allow paragraph no. 1 of this writ petition.

and/or

pass such other order or orders
as your lordships may deem fit and
proper.

^And for this the petitioner shall ever pray.

Annexure - 1

(11)

Bihar State Madrasa Education Board
PATNA
(EXAMINATION DEPARTMENT)

No. 3375



PATNA THE 7.7.88

Provisional Certificate

This is to Certify that Md. Paha.
son/daughter of Moulvi Abdul Wajid bearing Roll No. 181
duly passed the MOULVI/ALIM/EAZIL in Examination of the Bihar State
Madrasa Education Board, Patna held in 1970 and was placed
in the Second Division/Class.

Prof
7.7.
Issuing Clerk

Controller of Examination

7/7
Secretary

Bihar State Madrasa
Education Board
PATNA

पत्रांक 3 दिनांक 8 अक्टूबर 70 ईसवी

प्रेषक,

प्रधान अध्यापक

मध्य विद्यालय विरेली मधेपुरा पूर्व

जिला सहरसा

सेवा मे

श्रीशुभ सुभाह

विषय :- मध्य विषय विरेली बाजार मधेपुरा पूर्व मे 10 शिक्षक
उर्दु के पद पर नियुक्ति क संबंध मे

सूचित किया जाता है कि सर्वसम्मति से क्वर्र आपका नियुक्ति
उर्दु शिक्षक के पद पर प्रति माह उषरररर 34 पतोल रूपय पर किया
जाता है।

अतः आपना योगदान 15. 11. 70 रररररररररर ग्यारह सत्तर की
प्रधानाध्यापक को दे योगदान नहो करने पर आपके स्थान पर दुसरे शिक्षक
को नियुक्त कर लिया जायेगा ।

हसे आवश्यक समझे ।

होदेव नरु प्रु मेहता

उदिन - 3. किनि २-आन्दय ६०. ६६५

युक्त यथा सम्मान

तथा सम्मान परमाणु मदीयता युक्त
१९५५

वैपरी आ ५० ६३१

विषय ही सम्मान परमाणु मदीयता युक्त

५-२० विषय ७३ सम्मान परमाणु मदीयता युक्त

७३ सम्मान परमाणु मदीयता युक्त

७३ सम्मान परमाणु मदीयता युक्त

उदि - अथवा सम्मान १५-११-६०-१९३

सम्मान परमाणु मदीयता युक्त

सम्मान परमाणु मदीयता युक्त

७३ सम्मान परमाणु मदीयता युक्त

५
द्वितीय प्रमाण

अने क व र - 2/ए. 14

प्रेषक , सचिव

म० वि० विरेली बाजार मधेपुरा पूर्व
} सहरसा }

सेवा मे,

श्री जमदोश प्रसाद मेहता

दिनांक 30.6.62

विषय :- योगदान करने के संबंध मे

महाशय ,

सूचित किया जाता है कि सर्व सम्मति से । दिनांक 29.6.62

69 को आपके आवेदन पर विचार किया गया तथा आपको नियुक्ति 35
रु० प्रति माह पर विज्ञान शिक्षक पद पर } स० शि० } की गई है।

अतः आपका योगदान 1.7.69 तक प्र० अ०
को दे दे । यदि 1.7.69 तक योगदान नहो लिये तो आपके स्थान पर
अन्य विज्ञान शिक्षक को योगदान ले लिया जायेगा ।

ह० देव ना० प्र० मेहता

प्राधिकारक: - श्री...

मण्डल विरैली बाजार, मण्डल, इत

सेवा में,

(शहरवा)

श्री जगदीश प्रसाद मेहता

दिनांक - 30.6.64

विषय: - योगदान करने के संबंध में।

महाशय

धुचित्र किया जाता है कि सर्वप्रथम 21 फरवरी 1964

9 दिनांक 21.6.64 को आपके आवेदन पर विचार रखा

गया तथा आपकी निगुहि 35000 प्रतिमाह पर विज्ञान

शिक्षक पद पर (संश्लि) की गई है।

अतः अपना योगदान 9-6-64

तक 50000 को दे दें। यदि 9-6-64 तक योगदान

नहीं लिये तो आपके स्थान पर अन्य विज्ञान शिक्षक

को योगदान ले लिया जाएगा।

देवनागरी प्रमुखा

अधीन

...

Typed copy of

अने कचर - 3 15.

पत्रांक एम/ रा 1-015/80 शिओ 493
शिवा विभाग

प्रधक ,

श्री नरेन्द्र प्रो सिंह

विशेष सचिव म.प्र./वि/ सह निदेशक ; प्राथमिक ; बिहार
सेवा मे

जिला शिवा अधीक्षक , सहरसा
पटना दिनांक 25 ^{फरवरी} नवम्बर 1981

विषय :- मध्य विद्यालय विरेली बाजार , सहरसा के ^{राज्यीय इ.उ.प।} स्थानांतरण के संबंध में
महोदय ,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्रांक 1041 दिनांक 8. 10. 80 के प्रसंग में मुझे कलना है कि मध्य विद्यालय विरेली बाजार के ^{राज्यीय इ.उ.प।} पर विचार करने के क्रम में ऐसा पाया गया है कि दोनो शिक्षको श्री जगदीश प्रो मेहता एवं श्री मो० ताह/को नियुक्त संबंधित है ^{पूर्व} अतः दोनो किन्तु इन शिक्षको ने उन्हो वर्षों में ^{मेडिक} क्रमशः विरहक तथा ^{आलिप्त} अस्मिन् की मे उत्तीर्णता प्राप्त की है। जो संदेह प्रतीत होता है अतएव आपको अनुरोध है कि इनदोनो शिक्षको के ^{आलिप्त} मेडिक एवं ^{आलिप्त} के मूल प्रमाण पत्रो को प्राप्त कर उनको योग्यता प्राप्त करने की तिथि तथा तिथि के संबंध में सुस्पष्ट विवरण भेजने को कृपा करे । साथ ही अपने प्रमाण की सम्पुष्टि प्रतिलिपि भी भेजे ।

विश्वसत भाजन

EO -असपुट

{ नरेन्द्रपाल सिंह }

विशेष सचिव मह निदेशक ; ^{प्राथमिक} विरेली ; बिहार

पत्रांक एत /एत 10 x18/80

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक .

श्रीनरेन्द्र पाल सिंह

विशेष तथिव सह निदेशक & प्राथमिक & बिहार

सेवा मे,

जिला शिक्षा अधीक्षक सहरसा ,

& पटना दिनांक 25 फरवरी 1981

विषय :- मध्य विद्यालय विरीली बाजार पो0 विरीजी बाजार खंडल
मधेपुरा पूर्व सहरसा का राजकोषकरण ।

महाशय .

उपर्युक्त विषयपर आपके पत्रांक 1041 दिनांक 8-10-80 के प्रसंग
मे बिहार गैर सरकारी प्रारंभिक विद्यालय & नियंत्रण प्रणाली & अधिनियम
को धारा 3 & 4 मे निहित प्रावधान के अर्न्तगत सरकार के आदेशानुसार मध्य
विद्यालय विरीलीबाजार खंडल मधेपुरा सहरसा की निर्मांकित शिक्षको
की सेवा के समक्ष उनकेसामने अंकित वेतन पर अधिगृहित किया जाता है।

<u>क्रमांक का नाम</u>	<u>जन्म तिथि</u>	<u>नियुक्ति तिथि वेतन</u>
1. श्री माधव प्रसाद राय बी. ए. & डि. प्रियमियम्	20. 5. 51	17. 12. 70 भेटिक के नियतवेतन
2. श्री राजेश प्रसाद यादव भेटिक	2. 1. 50	1. 8. 69 भेटिक अप्रशिक्षित के नियत वेतन 205
3. श्रीवासुदेव प्रसाद भेटता	10. 5. 48	23. 12. 70

अप्रशिक्षित शिक्षको के प्रशिक्षण को दृढस्था नियमानुसार दो
सहस्र के मोतर को जाय ।

3. प्रधानाध्यापक एवं प्रथम सहायक शिक्षक के पद पर विहित योग्यता
के शिक्षक का पदस्थापन जिले को वरीयता सूची से किया जाय ।

4. इस आदेशा के निर्गत होने की तिथि के बाद जित तिथि को विद्यालय
की प्रबंध समिति के तथिव से विद्यालय को सभी वल एवं अवल सम्पति का पुरीप्रभार
विहित प्रक्रिया के अनुसार जिला शिक्षा अधीक्षक कर देगे। उसी तिथि से यह
आदेशा प्रभावी होगा ।

विश्वास भाजन 80 अप्रैल 81
24-2-विशेष तथिव सह निदेशक

प्रति,

श्री नरेश पास सिंह,
 जिला सचिव, महा-निदेशिका (प्राथमिक), बिहार।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, महरासा।

मटना, दिनांक 24 फरवरी 1981

विषय:- मध्य विद्यालय, विरीली बाजार, पी० विरीली बाजार अंचल मधेपुरा पूर्व सहरसा का राजकीयकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्रांक 1041 दिनांक 8-10-80 के प्रसंग में बिहार गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालय (नियंत्रण प्रणाली) अधिनियम की धारा 3(4) में निहित प्रावधान के अंतर्गत सरकार के अधिनियम द्वारा मध्य विद्यालय, विरीली बाजार अंचल मधेपुरा पूर्व सहरसा को निम्नांकित शिक्षकों को सेवा के साथ, उनके नाम के सामने अंकित वेतन पर अधिभूषित किया जाता है :-

शिक्षक का नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि	वेतन
1- श्री माधव प्रसाद राय दी०ए० (प्रोविंस)	20-5-51	17-12-70	मैट्रिक अधिभूषित के नियत वेतन 205/-(दो सौ पांच) पर
2- श्री रजिंद्र प्रसाद यादव मैट्रिक	2-1-50	1-8-69	मैट्रिक अधिभूषित के नियत वेतन 205/पर
3- श्री बासुदेव प्रसाद मेहता	10-5-48	23-12-70	

2- अधिभूषित शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था नियमानुसार की वही के भीतर की जाय।

3- प्रधानाचार्य एवं प्रथम सहायक शिक्षक के पद पर लिखित योग्यता के शिक्षक का बढोत्तमन जिले की दायिता सूची से किया जाय।

4- इस आदेश के निर्गत होने की तिथि के बाद जिले लिखित की विद्यालय की प्रबंध समिति के समक्ष से विद्यालय की सभी वस्तु एवं अवसुध समिति का पूर्ण प्रभार। लिखित प्रक्रिया के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी प्रभार का लेंगे। उक्त तिथि से यह आदेश प्रभावी होगा।

विद्यालय निदेशिका,
 नं० 24.2.81
 (नरेश पास सिंह)

विद्यालय सचिव महा-निदेशिका (प्राथमिक), बिहार।



प्रेषक:- जिला शिक्षा अधिकारी,
मधेपुरा ।

सेवा में,
उप-निदेशक, प्राथमिक शिक्षा,
बिहार, पटना ।

विषय:- राजकीयकृत मध्य विद्यालय, विरैली बाजार, मधेपुरा
पूर्व, जिला मधेपुरा के शिक्षकों के वेतन भुगतान के
सम्बन्ध में ।

मधेपुरा, दिनांक / 9 अगस्त 1988

महोदय,
उपर्युक्त विषयक म.दी.प. पत्रांक 9/रा 1-18/80-रि.10
594 दिनांक 12.4.88 के संदर्भ में स्थानीय ग्रामीण द्वारा दिए
गये आवेदन पत्र पर श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव स.वि.स. बिहार
सरकार द्वारा पूछे गये प्रश्नों के क्रम में तथा इस कार्यालय के पत्रांक
-29 दिनांक 18.1.88 से संबंधित तथ्यों के अनुरूप मध्य विद्यालय
विरैली शिक्षा संरक्षण के अन्तर्गत तथा इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत
मात्र यही एक मध्य विद्यालय है जो विभाग द्वारा प्रस्वीकृत तथा
जिला शिक्षा आयोजना समिति द्वारा अनुमोदित और विशेष
सचिव-सह निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के पत्रांक 494 दिनांक
25.2.81 के द्वारा राजकीयकृत विद्यालय है । सम्प्रति इस

विद्यालय में 5 पांच शिक्षक नियुक्ति के समय से अत्यन्त कार्यरत है
जैसा शिक्षकों की उपस्थिति पुस्तिका आदि से स्पष्ट होता है ।
विद्यालय की अपनी जमीन है । पूस का भवन चार कमरों का नव-
निर्मित है । छात्रोपस्थिति के अनुसार कानुसार छात्रों की
स्थिति इस प्रकार है :-

d/c

वर्ग	छात्र संख्या	कुल छात्र संख्या
छठा	23/33	111/138
सातवाँ	45/53	
आठवाँ	43/52	

विभागीय नियमानुसार 1:30 के अनुपात पर छात्र
संख्या संतोष्युद्द है । जिसमें शिक्षकों का विवरण इस प्रकार है:-

क्रमसं.	नाम	योग्यता	जन्मतिथि	नियुक्ति/योगदानकी तिथि
1-	2-	3-	4-	5-
1-	श्री माधव प्रसाद राय,	बी. ए. प्री. 0	20.5.51	17.12.70

(7)

(18)

21


24

1	2-	3	4	5
2-	श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव	मैट्रिक	02.01.50	01.08.69
3-	श्री बासुदेव प्रसाद मेहता	..	10.05.48	23.12.70
4-	श्री जगदीश प्रसाद मेहता	..		01.07.69
5-	श्री मोहम्मद ताहा, उर्दू शिक्षक-आलीमफाजिल			15.09.70

पूर्व प्रेषित प्रतिवेदन के समय क्रमांक-4 एवं 5 ने अपनी योग्यता प्रमाण पत्र समय पर उपस्थापित नहीं करने के फलस्वरूप इन दोनों की सेवा का अनुमोदन नहीं हो सका था। मात्र क्रमांक -1 से 3 तक के शिक्षकों की सेवा की स्वीकृति विभाग से मिली है लेकिन सरकारी

कौचागार से अद्यत्न किसी का भी भुगतान नहीं हो रहा है।

अतः सरकारी नियमानुसार अनुमोदित शिक्षकों के वेतन भुगतान की दृष्टि में अतिरिक्त कार्यवाही की जा सकती है।

विवासाजन

 जिला शिक्षा अधिकारी,
 मधुपुरा।
 16/4

पंजाब-एच/एच-10/00 गी०-.....
मानव संसाधन विभाग, दिल्ली 1

प्रति,

श्री रामसिंह सिंह,
निदेशक, एच/एच-अवर सचिव ।

सेवा में,

विभागाध्यक्ष, मधेपुरा ।

पटना, दिनांक- 31-12-88

विषय-

श्री जगदीश प्रसाद देसाय एवं श्री मोहम्मद ताहिर, तत्कालीन शिक्षक, मध्य विद्यालय, विदेही बाजार, मधेपुरा के वेतन भुगतान के संबंध में ।

संदर्भ-

उपरोक्त विषयक विभागीय पत्रांक 2953, दिनांक 2-12-88 को

प्रति अवगत करते हुए निदेशकार को कना है कि श्री जगदीश प्रसाद देसाय

एवं श्री मोहम्मद ताहिर, तत्कालीन शिक्षक, मध्य विद्यालय, विदेही बाजार, मधेपुरा के वेतन भुगतान में अनुचित देयता एवं अयोग्य भुगतान के माध्यम से मधेपुरा के वेतन भुगतान में अयोग्यता का प्रमाणित किया जा रहा है।

किया जाता है :-

- 1- 1-1-71 के पूर्व वे विहित रूप से नियुक्त हों ।
- 2- 1-1-71 के बाद वे वेतन उल्लिखित हों ।
- 3- वेतनभुगतान प्रमाण प्रमाण पत्र तभी पर्याप्त हों ।
- 4- विहित विधि से अनुचित देयता के निदेशकार में देयता पर रद्द हों ।
- 5- वेतन भुगतान में कानून के अंतर्गत हों ।

विचारभावना,

हो/-

श्री रामसिंह सिंह
निदेशक, एच/एच-अवर सचिव ।

आपका- 3345 पटना, दिनांक- 31-12-88

प्रतिनिधि- क्षेत्रीय उप विभागाध्यक्ष, मधेपुरा, प्रमोद, मधेपुरा/विभागाध्यक्ष

विभागाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचना एवं आवश्यक कार्य प्रेषित ।

श्री रामसिंह सिंह
निदेशक, एच/एच-अवर सचिव ।

मधेपुरा
अवर सचिव

Typed copy

अने कवर - 7 20

कार्यालय , जिला शिक्षा अधीक्षक , मधेपुरा
कार्यालय आदेश

सचिव , मानव संसाधन विकास विभाग , बिहार पटना के पत्रांक 8071
दिनांक 8-12-92 के आदेशानुसार विभागीय पत्रांक 3345 दिनांक 31-12-
88 के आदेश के अन्तर्गत जिला पदाधिकारी मधेपुरा एवं उप विकास आयुक्त मधेपुरा
के आदेश कउपरान्त मेट्रिक अप्रशिक्षित चेतनमान मे मध्य विद्यालय विरेली
बाजार अंचल मधेपुरा पूर्व के निर्मांकित शिक्षकों को आदेश निर्गत
को तिथि यानि 8-12-92 से चेतनमान करने को अनुमति दी जाती है।

1. श्री जगदीश प्रसाद मेहता स० शि०
2. श्री भी० साहा , स० शि०

ह० -

जिला शिक्षा अधीक्षक ,
मधेपुरा

आपांक 1331-6 दिनांक 9 जुलाई 93

प्रतिलिपि प्र संबंधित शिक्षक प्र० अ० म० वि० विरेली बाजार मधेपुरा
शे० शि० प० म० मधेपुरा जोषागार पदाधिकारी मधेपुरा एवं विपत्र लिपिक
को सूचनार्थ एवं आवापक प्रेषित ।

ह० - अतप० ट

जिला शिक्षा अधीक्षक
मधेपुरा

Annexure 8

सेवा में,

सचिव महोदय प्राथमरी शिक्षा विभाग,

बिहार सरकार, पटना

Received

4/6/07

विषय- माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 27.4.2007

को सी.डब्ल्यू.जे.सी. नं० 14680/01 में पारित

आदेश के आलोक में मोहम्मद ताहता सहायक शिक्षक

इमिडिल स्कूल, बिरोली बाजार मधेपुरा एवं जगदीश

प्रसाद मेहता सहायक शिक्षक प्राथमरी स्कूल रिसिदेव

टोला पाकीलपार, मुरलीगंज जिला - मधेपुरा द्वारा

अभ्यावेदन के साथ माननीय उच्च न्यायालय, पटना

का पत्राप्ता पत्र के साथ।

महाशय,

सर्वज्ञ विभाग, जन सेवा विभाग का प्रधान सचिव, पटना

उप निर्देश

आदेश के आलोक में प्रमाणित किया जा रहा है, जो प्रवेशिका के समतुल्य है।

एवं आदेशक संकेतानुसार जयदेवी प्रमुख देवता मेहता वसुधाहरण में तैयारी के प्र

परीक्षा पास

मनेजमेंट कमिटी के द्वारा आवेदक सं० -1 की नियुक्ति 15.9.70 एवं आवेदक संख्या -2 की नियुक्ति 1.7.69 को की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय में दोनों आवेदकों की नियुक्ति का प्रमाण पत्र अनुलग्नक-2 एवं 2/ए के रूप में लगाया गया है।

2. यह कि विशेष सचिव सह निदेशक प्राईमरी शिक्षा अपने धारणा संख्या-493 दिनांक 25.2.81 को जिला शिक्षा अधिकारी सहरसा को सूचित किया कि प्राईमरी स्कूल का सरकारीकरण हो गया है। अतः आवेदकों के आलीम तथा मैट्रिक के पास होना संदेह प्रतीत होता है। अतः एवं दोनों शिक्षकों के मूल प्रमाण पत्रों को प्राप्त कर जाँच कर विवरण भेजे जो रिट के अनुलग्नक-3 के रूप में लगाया है।

3. यह कि उक्त यह कहना तर्क संगत होगा कि उक्त स्कूल उसी दिन बिहार सरकार के पत्रांक स्त.स्त. 494 दिनांक 25.2.81 को उक्त स्कूल में कार्यरत शिक्षकों के साथ सरकारीकरण किया गया। अतः आवेदकों का नाम छोड़ दिया गया। पत्र संख्या 994 दिनांक 25.2.81 को उक्त रिट आवेदन का अनुलग्नक -4 है।

4. यह कि उक्त रिट आवेदन का अनुलग्नक-5 पत्रांक 3/6 मधेपुरा दिनांक 18.4.88 है जो शिक्षा अधिकारी

दिनांक 18-4-88 है। जो शिक्षा अधीक्षक मधेपुरा ने जम,
 निदेशक प्राथमिक शिक्षा, पटना को लिखा है कि स्थानीय
 ग्रामीण द्वारा दिस मस आवेदन पत्र पर श्री राजेन्द्र प्रसाद
 तदस्य विधान तथा, विहार तिरका द्वारा पूछे गए प्रश्नों के
 जून में तथा 23 कार्यालय के पत्रांक -29 दिनांक 18-1-06 से
 संबंधित तथ्यों के अनुसार में मध्य विध्यालय विरली शिक्षा
 सर्वेक्षक के अन्तर्गत तथा इसी ग्राम पंचायत के अन्तर्गत मात्र बढी
 एक मध्य विध्यालय है जो विभाग द्वारा प्रषपीकृत तथा जिला
 शिक्षक आयोज. द्वारा अनुमोदित सर्व विशेष तथिय सह- निदेशक
 प्राथमिक शिक्षा के पत्रांक 444 पत्रांक 25-2-81 के द्वारा राजकीय-
 कृत विध्यालय है। इस विध्यालय में पाँच शिक्षक है जो नियुक्तिके
 समय से कार्यरत है। और इन पाँच शिक्षकों में दोनों आवेदकों का
 भी नाम है। अतः पाँचों शिक्षकों के वेतन भुगतान की दिशा में
 प्रेषित कार्यवाही के लिए अनुमति का है।

3-
 आवेदन नं. 3345, पटना, दिनांक 12/12/88 को निदेशक, प्रथमिक
 शिक्षा, मधेपुरा द्वारा
 सई क्षेत्रीय जम निदेशक कोशी प्रमंडल सहरसा को निर्देशित है कि
 विभागीय पत्रांक 2953 दिनांक 24-12-88 को अपक्रमित करते हुए

दोनों आवेदकों के संबंध में कहा है कि दोनों आवेदकों का सेवा अनुसंधान अनुमोदन पत्र निर्गत की तिथि से कुछ शर्तों के साथ अनुमोदन दिया जा जाता है। इस पत्रांक में दर्शाया गया पाँचों शर्तों को दोनों आवेदक अन्य शिक्षकों के साथ पूरी करते हैं। केवल दोनों आवेदकों को वे बजह परेशान करने के लिए यह पत्र निकाला गया इसकी कारण आवेदकों को पता है नहीं।

6. यह कि उक्त रीट आवेदन पत्र अनुलग्नक-7 जिला शिक्षा अधीक्षक मधेपुरा का शर्पांक 1331-6 दिनांक 9-7-93 है जिससे स्पष्ट होता है कि दोनों आवेदकों का वेतन 8-12-92 से वेतन भुगतान करने का अनुमोदन किया गया जो स्वयं में उक्त रीट आवेदन के अनुलग्नक -5 के विपरीत है।

अतः इसी अन्तर को उक्त रीट आवेदन में दोनों आवेदकों को वेतन 25-2-91 से भुगतान करने की प्रार्थना की गई एवं तत्कालिक स्तर से वेतन भुगतान द्वारा दोनों आवेदकों का नियुक्ति तिथि 15-11-75 एवं 1-7-69 को उचित करार देने हेतु प्रार्थना की गई कि वेतन भुगतान की तिथि में इस अन्तर को निश्चित करने के पहले दोनों आवेदकों में से किसी को अधिकारियों ने नहीं सुना।

सी. डब्लू नं० 14680 /01 के आवेदन सभी

अनुलगनों के साथ इस अभ्यावेदन के अनुलगनक के रूप में श्रीमान के अवलोकनार्थ संलग्न किया जा रहा है।

7. यह कि उक्त रीट आवेदन की सुनवाई दिनांक

27.4.07 को माननीय न्यायाधीश श्री शैलेश कुमार तिन्हा ने सभी

पक्षों के सुनवाई के बाद आदेश पारित किया कि पुनः अभ्यावेदन

सूपरी प्राथमरी शिक्षा विहार सरकार को 6 सप्ताह के अन्दर

अपने सभी प्रमाणों के साथ इस आदेश के क्वाप्ता नक्का

के साथ दिया जाए। अतः सी-566/01 में दिनांक 2

27.4.07 पारित आदेश का क्वाप्ता नक्का इस अभ्यावेदन के साथ

अनुलगनक-2 के रूप में श्रीमान के अवलोकनार्थ संलग्न किया जा रहा

है।

अतः किन्तु श्रीमान से कर वध प्रार्थना है कि माननीय उच्च

न्यायालय द्वारा निदेशित आदेश के आलोक में दोनों आवेदकों का

इजाया केन अलान समेत निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत करने

की कृपा करे।

इसके लिए हम दोनों आवेदक श्रीमान का सदा

अभारी रहेगा।

अकलम 1/14

① रिट डी पेट्री प्राथमरी
phok 1/14

② 27/4/2007 डी पारित
रिट डी प्राथमरी

कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक, मधेपुरा ।

कार्यालय-आदेश
=====

इस कार्यालय के आदेशक 1331-6 दिनांक 9.7.93 में आदेशित संशोधन करते हुए की अवधि 50 महीने एवं मोठ ताड़ा, तडावक विभाग मध्य विद्यालय, बिरौली बाजार अंका-मधेपुरा पूर्व को मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना के फांकांक 2953 दिनांक 2.12.88 के आदेश में राजकीयकरण की तिथि 25.2.81 के मैट्रिक अधिाधित के केनमानु में केन भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है ।

उध्याधिकारी के प्राप्त प्रतिलिपि निदेश प्राप्त होने पर की ली राशि एक मुक्त बोधानगर में करा करना होगा ।

इस आदेश के होने वाली राशि का भुगतान आंकें प्राप्त होने पर ही देय होगा ।

जिला शिक्षा अधीक्षक,
मधेपुरा ।

जिला शिक्षा अधीक्षक
मधेपुरा
27/1/08

08 (10)/मधेपुरा, दिनांक 31.01.08...../

प्रतिलिपि:- बोधानगर पदाधिकारी, मधेपुरा/बन विभाग पदाधिकारी, मधेपुरा/प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय, बिरौली बाजार/निजाती एवं व्ययन पदाधिकारी तथा संबंधित विभाग की सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित ।

जिला शिक्षा अधीक्षक,
मधेपुरा ।
27/1/08

39 - 1

weeks from the date of production/communication of this order.

A. Kumar

sd/ (Mridula Mishra, J.)

ORIGINAL

PHOTO COPY
For [unclear] (1) 01-8-2011

Handwritten signature and scribbles

COPY

(A5)

२३

5007976

दिनांक
कोषागार संख्या 27
(को. सं. नि. 270 प्रत्यक्ष)
मि. ५७६२२

SHAR PRASAD YADAV
HEADMASTER

मा. सं. ८९ से ११ दिनांक १२/०३
कालावधि तम विधि

20 का खोरेकार वेतन वित्त।

वर्ष २०१०-११ का वेतन वित्त। यह खोरेकार वेतनों का नाम और अनुसारी रकमें निम्नवर्ती तालिका में लिख देना।

20 की खोरेकार वेतन

20202011010007 2200
मुख्य कार्यालय
मुख्य कार्यालय
मुख्य कार्यालय

1. वेतन रकमें, यथास्थिति, संपुष्टि सं. 3, 4, 5 और 6 के अंतर्गत वेतन दरों पर और जोड़ करके सम्यक् न होने पर जोड़ें। छुटी-वेतन, जिसकी रकम मालूम नहीं हो, उसी वेतन-दर पर 4 में सम्यक् वेतन से दर्ज करें, मानो वह कर्तव्यस्व हो (कोषागार संख्या का विवरण 270 और 276)।

	रु०	पै०
वर्षा स्वयंसेवा का वेतन	115740	
अत्यधिक स्वयंसेवा का वेतन		
घर और कानन		
सकारी भत्ता		
घोड़ा भत्ता		
मकान-भाड़ा-भत्ता	27142	
जीवन-भावन भत्ता	60168	
नियत-व्यय भत्ता		
140	36182	
अंतरिम	38938	
होम भत्ता	2022	
जोड़	213200	

2. वेतन-सं. 15 में, सभी अतमान्य स्थायी पदधारियों, जैसे-बुद्ध, पेंशन-निवृत्ति, स्थायी स्वयंसेवा का वेतन नियमित, जिनके लिए वेतन-वृद्धि प्रमाण-पत्र या अनुपस्थिति विवरण में योग्य स्थान नहीं हो।

3. जब दायकृत वेतन-वृद्धि से सरकारी कर्मचारियों का वेतन दक्षता-पेक से ऊपर हो जाता हो, तब उक्त वेतन में देखी कोषागार रकम का विवरण कि संवद्ध सरकारी सेवक दक्षता-पेक पर करने के योग्य वेतन 280।

4. निम्न सेवक के सरकारी सेवकों के नाम वेतन वित्त में शामिल नहीं होना चाहिए। (कोषागार संख्या का विवरण 273)।

5. स्वयंसेवा से प्रत्येक अनुभाग के नीचे, पन्ने के ऊपर या एक ही पन्ने के नीचे उक्त अनुभाग के सं. 4, 5, 6 और 7 का जोड़ देना।
SHAR PRASAD YADAV
HEADMASTER
SHAR PRASAD YADAV
HEADMASTER

6. वेतन-सं. 15 में, सभी अतमान्य स्थायी पदधारियों, जैसे-बुद्ध, पेंशन-निवृत्ति, स्थायी स्वयंसेवा का वेतन नियमित, जिनके लिए वेतन-वृद्धि प्रमाण-पत्र या अनुपस्थिति विवरण में योग्य स्थान नहीं हो।

7. वेतन-सं. 15 में, सभी अतमान्य स्थायी पदधारियों, जैसे-बुद्ध, पेंशन-निवृत्ति, स्थायी स्वयंसेवा का वेतन नियमित, जिनके लिए वेतन-वृद्धि प्रमाण-पत्र या अनुपस्थिति विवरण में योग्य स्थान नहीं हो।

8. स्वयंसेवा से प्रत्येक अनुभाग के नीचे, पन्ने के ऊपर या एक ही पन्ने के नीचे उक्त अनुभाग के सं. 4, 5, 6 और 7 का जोड़ देना।

9. वेतन-सं. 15 में, सभी अतमान्य स्थायी पदधारियों, जैसे-बुद्ध, पेंशन-निवृत्ति, स्थायी स्वयंसेवा का वेतन नियमित, जिनके लिए वेतन-वृद्धि प्रमाण-पत्र या अनुपस्थिति विवरण में योग्य स्थान नहीं हो।

10. वेतन-सं. 15 में, सभी अतमान्य स्थायी पदधारियों, जैसे-बुद्ध, पेंशन-निवृत्ति, स्थायी स्वयंसेवा का वेतन नियमित, जिनके लिए वेतन-वृद्धि प्रमाण-पत्र या अनुपस्थिति विवरण में योग्य स्थान नहीं हो।

घर- साधारण परिवार निधि	14358
डैक ऑफिस	7250
वर्षा (एन.आई.) निधि	
अन्य निधियाँ	
मकान-भाड़ा	
जीवन-भावन	
नियत-व्यय	
जोड़	21558
	191642

नियमित वेतन वित्त की प्रकृतियों एवं स्थिति और साधारण तालिका में दिए गए अंतर वेतन वित्त के अंतर्गत वेतन वित्त में शामिल करने के लिए।

मुख्य कार्यालय

SHAR PRASAD YADAV
HEADMASTER
SHAR PRASAD YADAV
HEADMASTER

अधीक्षक

Annexure - 10

CWJ No 4/26/2009

Uendra Yadav .
Versus
The State Of Bihar & Ors .

18.07.2011

Heard counsel for the petitioner and the
counsel appearing for the State:

Petitioner has now retired and his prayer is for a
direction to the respondents to make payment of
arrears of salary for the period 6.1.1981 to 7.3.1995.
He has subsequently been paid his salary after order
passed in CWJC No. 8906 of 1992 of this Court.

Counsel for the petitioner submits that the issue
regarding payment of arrears of salary to the teaching
and non-teaching employees of the school has
already been settled in CWJC No. 11837 of 1997. The
case of the petitioner is similar to that of CWJC No.
11837 of 1997.

Having considered the matter, I have no option
but to direct that the petitioner is entitled to salary for
the period 6.1.1981 to 7.3.1995. The writ petition is
disposed off directing the District Superintendent of
Education, Madhepura Respondent no.5 to make
entire payment of arrears of salary for the period
6.1.1981 to 7...3.1995 to the petitioner within eight

727122723
18 JUL 2011
JUDICIAL
30.7.2011
BIHAR
372403
INDIA
27422 DEPARTMENT OF POST
BIHAR CIRCLE
AUTH NO. 3185 DT. 16/7/2009

Typed copy

अने कवर - 6. 19

पत्रांक एत/ 18/80 मा०

मानस संसाधन विकास विभाग, बिहार
प्रेषक,

श्री रामाशंकर सिंह

निदेशक प्र० शि० अर सचिव

सेवा मे,

जिला शिक्षा अधीक्षक मधेपुरा,

पटना, दिनांक 31.12.88

विषय - श्री जगदीश प्रसाद भट्टा एवं श्री मोहम्मद साह सहायक निदेशक
मध्य विद्यालय विरेलो बाजार मधेपुरा पूर्व मधेपुरा के वेतन भुगतान के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 2953 दिनांक 2.12.88 को
अप्रकृतित करते हुए निदेशानुसार भूले कहना है कि श्री जगदीश प्रसाद भट्टा
एवं श्री मोहम्मद साह सहायक शिक्षक मध्य विद्यालय विरेलो बाजार मधेपुरा
भेटिक अप्रैल 70 के वेतनमान में न्यूनतम वेतन एवं अनुमान्य भत्ते के साथ पूर्व
मधेपुरा का सेवा अनुमोदन पत्र निर्गत की तिथि से विभांगित शर्तों के साथ
किया जाता है:-

1. 1.1.71 के पूर्व के विधिवत रूप से नियुक्त हो।
2. 1.1.71 के पूर्व के भेटिक उत्तराणा हो
3. जांचोपरांत इनका प्रमाण पत्र सही पाया जाय
4. नियुक्ति तिथि से आज तक लगातार विद्यालय में सेवा रत रहे हो
5. शिक्षक अनुपात में इनके पद की आवश्यकता थी।

विश्वास भाजन
EO -

राम सिंगार सिंह

निदेशक शि० अर सचिव

डापांक 3345 पटना, दिनांक 31.12.88

प्र तिलिपि :- क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, कोशी प्रमंडल सहरसा / जिला
शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

EO - असपट

राम सिंगार सिंह

Affidavit

M
 6245
 Mr. Taha aged about years s/o Late Maulvi Abdul ~~Masood~~
 Wazit, resident of village Mahesua, p.s. and district-
 Madhepura at present retired Assistant Teacher in
 Middle School, Biraili Bazar, Madhepura do hereby solemnly
 affirms and state as follow:-

1. That I am petitioner no. 1 in this case and as such
 am well acquainted with the facts and circumstances of
 the case.
2. That the contents of this application have
 been read over and fully explained to me in Hindi they
 are fully understood the same. 7/8, 9/10/16.
3. That the statement made in paragraphs nos.
 3, 4, 5, 6, are true to my knowledge and these made in
 paragraphs nos. are true to my information
 derived from the records and rest are by way of submission
 (1) 31/12/15

dt. 25.2.81

6. Annexure-5 A photo copy of letter

21-22

no. 516 dt. 18.4.88

7. Annexure-6 photo copy of memo no. 3345

23-

dt. 31.12.88

8. Annexure-7 A photo copy of order dt.

24-

9.7.93

9. Annexure-8. A photo copy of representation

25-30

dt. 4.6.07

10. Annexure-9 A photo copy of order passed

31-

by the Superintendent of Education

Madhepura

11. Annexure-10 A photo copy of order of C.M.J.C. 32-33

no. 4126/00

12. Annexure-11. A photo copy of

34-37

13. Vakalatnama

Bill